फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धाई बनाम पार्वती

किस्म मुकद्मा– धारा 225 आरटीए

नम्बर 352/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.19	अभिभाषक अपीलांट श्री हरिराम बिश्नोई व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से श्री जयचन्द लाल सारस्वत उपस्थित। अपील बाद जॉच, रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक उभय पक्षों को स्थगन प्रार्थना पत्र सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम चानी तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 377 व 396 रकबा 100 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट्स द्वारा मौके पर ट्यूबवैल व ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट का खेत खसरा नम्बर 1041 तादादी 6.32 हेक्टर भूमि ग्राम झझू में स्थित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खेत खसरा नम्बर 396 व 377 में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से एकतरफा तौर पर बिना सुनवाई व जवाब प्राप्त किये आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि रेस्पोडेन्ट को अपने खेत खसरा नम्बर 1041 में आवागमन हेतु झझु गांव की तरफ जाने वाले रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता कायम किया जाना रास्ते के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 396 व 377 के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर व सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोलायत के समक्ष प्रकरण जैरकार चल रहे है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उच्चतर न्यायालयों की अवमानना करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त रास्ता मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है जबकि रास्ते के मामलों में यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं तथा आवश्यकता हो तो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित होकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करें। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्वान्त की पालना किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादग्रस्त भूमि के मौक की स्थिति अथवा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थित कायम रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–07–2019 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1041 में आवागमन हेतु ग्राम चानी के खेत खसरा नम्बर 377 व 396 में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से रास्ते के प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त प्रस्ताव में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 1041 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। धारा 251ए आरटीए के प्रार्थना पत्र रास्ता कायम किये जाने की स्थिति में रास्ते हेतु अधिग्रहित की गई भूमि की एवज में डीएलसी दर से दुगनी राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश जैर अपील में उक्त प्रावधान के अनुसार रास्ता कायम करते हुए डीएलसी दर से दुगनी दर से अर्थात कीमतन रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये है। अपीलांट को उक्त आदेश से किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी काश्तकार को अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए स्थापित की गई है, उक्त मंशा के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु आत्यांतिक आवश्यकता होने की स्थिति में आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता उपलब्ध करवाया

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभषाक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत मामलें में पत्रावली के साथ परीक्षण न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति की छाया प्रतियॉ पेश की है। ऐसीस्थिति मे मूल पत्रावली की आवश्यकता नहीं समझी गई।

प्रकरण में आवेदक/रेस्पोडेन्ट पार्वती ने टीनेन्सी एक्ट की धारा 251ए के तहत दरखवाश्त पेश कर उसके खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1041 में आवागमन हेतु अपीलांट्स धाई वगैरा की भूमि खेत खसरा नम्बर 396 व 388 में से रास्ता मांगा है। प्रस्तुत दरखवाश्त में अपीलांट्स प्रभावित खातेदार होने के उपरान्त भी पक्षकार नहीं बनाया, परन्तु न्यायालय के आदेा से सुनवाई के दौरान पक्षकर बनाये गये। प्रार्थिया ने चालू रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण खसरा नम्बर 396 व 377 में रास्ता मांगा है। पटवारी की रिपोर्ट में भी मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 396 व 377 में रास्ता उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त रास्ते के लिये पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित होने की जानकारी दी। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय कर दिया।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की दरखवाश्त पर आपत्तियॉ पेश की थी, जिनका कोई विवेचन नहीं किया तथा प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थी के खेत के बीच की खसरा नक्म्बर 1038, 1039 की शारदा पत्नी सांवरमल की खातेदारी भूमि में से रास्ता अंकन करने का कोई उल्लेख नहीं किया। यदि उक्त दोनों खसरों में रास्ते का अंकन नहीं होता है तो खसरा नम्बर 396 व 377 में रास्ता दर्ज करने से प्रार्थी को कोई फायदा मिलना संभव नहीं है।

परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी के खातेदारी खेत तक सम्पूर्ण रास्ते का उल्लेख किये बिना केवल अपीलांट की खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने का अधूरा आदेश पारित कया है। जिससे प्रार्थी को समुचित अनुतोष मिलना संभव नहीं है तथा अपीलांट्स की भूमि अनावश्यक रूप से कम होगी। परीक्षण न्यायालय द्वारा खेत खसरा नम्बर 1041 व 377 को रास्ते से जोड़ने का प्रावधान किये बिना

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अधूरा आदेश पारित करने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–07–2019 को निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को रिमाण्ड किया जाता है कि खसरा नम्बर 1038 व 1039 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर समुचित आदेश पारित करें।

(रामनिवास जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner